

**Form No. III****फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत **कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ़****वसीम**

बनाम

**सरकार****कार्यवाही अन्तर्गत :-****धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**

किस्म मुकदमा

**विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)**

नं०

**020**

सन्

**2025**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.07.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। पूर्व में थानाधिकारी पुलिस थाना सदर से पत्रांक/2897 दिनांक 23.06.2025 से वाहन सिपुर्द किये जाने बाबत् टिप्पणी/अभिमत एवं अनुसंधान पत्रावली प्राप्त हुई है जो पत्रावली के हम किता है। रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली के हम किता रहे। प्रकरण में प्रार्थी वाहन स्वामी वसीम खान पिता पप्पु खान जाति मेवाती (मुसलमान) निवासी नाकोडा नगर निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ की और से पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 007/2025 दिनांक 03.01.2025 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 09 GC 9557 जिसके इंजन नंबर TNL4J76907 चेचीस नंबर MA1ZN2TNKL5J15272 को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497-503 बीएनएसएस, 2023 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/2897 दिनांक 23.06.2025 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित कर अवगत कराया गया कि वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा जब्तशुदा वाहन की आवश्यकता नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 007/2025 दिनांक 03.01.2025 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में जब्तशुदा वाहन एवं माल के निस्तारण बाबत् अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण संख्या 008/2025(रसद) दर्ज होकर विचाराधीन है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है जिसका निस्तारण मूल प्रकरण में ही किया जाना है ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण को मूल प्रकरण के साथ ही सुना जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण को मूल प्रकरण संख्या 008/2025(रसद) के साथ सुनवाई हेतु रखा गया। प्रकरण संख्या 008/2025(रसद) में जब्तशुदा वाहन वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 09 GC 9557 जिसके इंजन नंबर TNL4J76907 चेचीस नंबर MA1ZN2TNKL5J15272 को रुपये 08,00,000/- अक्षरे आठ लाख रुपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी वसीम खान पिता पप्पु खान जाति मेवाती (मुसलमान) निवासी नाकोडा नगर निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ को सौंपे जाने के आदेश दिए गये हैं, अतः पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।</p>	

-S/d-

(आलोक रंजन)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
चित्तौड़गढ़

01.07.2025

